रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
पाधिकार स पकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर, 25, 2013/कार्तिक 3, 1935
No. 537] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2013/KARTIKA 3, 1935

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 705 (अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; नामतः

1. (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) दूसरा संशोधन नियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में, नियम 8 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किए जाएंगे अर्थात् :—

"(6) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में चयनित होने के लिए भी पात्र होगी यद

(i) ऐसी "सीमित दायित्व भागीदारी" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऐसी सीमित दायित्व भागीदारियों के पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा उपबंधित वित्तीय अपेक्षाओं और मानकों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध करे;

(ii) "सीमित दायित्व भागीदारी" के अभिहित भागीदार उप-नियम (1) [उसके खंड (ख) और (च) के अलावा] अथवा उप-नियम (3) [उसके खंड (क) और (च) के अलावा] के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बनने से निरर्हित नहीं हों और "सीमित दायित्व भागीदारी" के अभिहित भागीदार किसी ऐसी कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय में निदेशकों के पद पर या किसी ऐसी फर्म अथवा "सीमित दायित्व भागीदारी" में भागीदार न रहे हों, जो स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य रही हो और जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित अथवा निष्कासित किया गया हो; और

(iii) "सीमित दायित्व भागीदारी" के कम से कम दो अभिहित भागीदार ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें निम्न में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो :-

(क) प्रतिभूतियों के लेन-देन में; अथवा

(ख) पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में; अथवा

(ग) निवेश परामर्शकों के रूप में।"

[फा. सं. 1/17/एसएम/2011]

डॉ. के. पी. कृष्णन, महानिदेशक और अपर सचिव

टिप्पणी : प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, दिनांक 21.2.1957 में, पृष्ठ संख्या 619 पर एस आर ओ संख्या 576, दिनांक 21 फरवरी, 1957 द्वारा जारी हुई और तत्पश्चात् 22.7.1967 से भारत के राजपत्र- II, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 14.7.1967 की संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 1096, भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित पृष्ठ 1556 पर दिनांक 3.6.1972 के सा.का.नि. 685, 08.8.1972 का सा.का.नि. 959, दिनांक 1.11.1975 के सा.का.नि. 2641, दिनांक 11.11.1985 के सा.का.नि. 1083, दिनांक 15.11.1988 के सा.का.नि 1070(अ), दिनांक 20.7.1987 के सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 13.11.1992 के सा.का.नि. 870(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 20.9.1993 के सा.का.नि. 617(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 12.10.1994 के सा.का.नि. 749(अ), 9.3.1995 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 9.3.1995 के सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 07.11.1994 का सा.का.नि. 790(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 27.3.1995 के सा.का.नि. 291(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 23.12.1996 के सा.का.नि. 581(अ), 8.8.2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 654(अ), दिनांक 7.6.2001 के सा.का.नि. 415(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 28.08.2003 के सा.का.नि.696(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशित दिनांक 10.06.2009 के सा.का.नि. 395(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 04.06.2010 के सा.का.नि. 469(अ) और भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 09.08.2010 के सा.का.नि. 662(अ) की संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2013

G.S.R.705(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules 1957, namely :—

1 (1). These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8, after the sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) A limited liability partnership as defined in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), shall also be eligible to be elected as a member of a stock exchange if,—

(i) such 'limited liability partnership' undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be provided by the Securities and Exchange Board of India for registration of such limited liability partnerships under sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(ii) the designated partners of the 'limited liability partnership' are not disqualified from being members of a stock exchange under sub-rule (1) [except clause (b) and (f) thereof] or sub-rule (3) [except clause (a) and clause (f) thereof] and the designated partners of the 'limited liability partnership' had not held the offices of Directors in any company or body corporate or partner in any firm or 'limited liability partnership', which had been a member of the stock exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange; and

(iii) not less than two designated partners of the 'limited liability partnership' are persons who possess a minimum experience of two years:—

(a) in dealing in securities; or

(b) as portfolio managers; or

(c) as investment consultants.".

[F. No. 1/17/SM/2011]

Dr. K. P. KRISHNAN, Director General and Addl. Secy.

Note : The principal rules were issued under SRO No. 576 dated 21.2.1957 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, page 619 dated 21.2.1957 and were subsequently amended by the amendment notification GSR 1096 dated 14.7.1967 published in the Gazette of India II, Part II section 3, sub-section (i) w.e.f. 22.7.1967, GSR 685 dated 3.6.1972 published in the Gazette of India, Part II, section 3 sub-section (i) page 1556, GSR 959 dated 8.8.1972, GSR 2641 dated 1.11.1975, GSR 1083 dated 11.11.1985, GSR 1070 (E) dated 15.11.1988, GSR 666 (E) dated 20.7.1987, G.S.R. 870(E) dated 13.11.1992, G.S.R. 617 (E) dated 20.9.1993 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) w.e.f. 20.9.1993, G.S.R. 749(E) dated 12.10.1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R.790(E) dated 7.11.1994, G.S.R. 121(E) dated 9.3.1995, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) w.e.f 9.3.1995, G.S.R. 291(E) dated 27.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 581(E) dated 23.12.1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. No 654 (E) dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 415 (E) dated 7.6.2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 696(E) dated 28.8.2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) and G.S.R. 395(E) dated 10.6.2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 469(E), dated 04.06.2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) and G.S.R. 662(E), dated 09.08.2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i).

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.